प्रैस विज्ञप्ति
दिनांकः 23.10.2020

थाना रामघाट पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी गोकशी की घटना होने से बची, गौकशी के उद्देश्य से गौंवशो को कैन्टर गाड़ी में लादकर ले जाते 03 अभियुक्तों को रामघाट पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरान्त 16 गौवंश जीवित, 01 कैन्टर गाड़ी, गौकशी के उपकरण एवं अवैध असलहा मय कारतूस सहित किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन में दिनांक 22/23.10.2020 की रात्रि में थानाप्रभारी रामघाट श्री बच्चू सिंह मय फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अभियुक्तगण एक कैन्टर गाड़ी में कुछ गौवंशो को रस्सी से क्रूरतापूर्वक बांधकर गौकशी के उद्देश्य से अलीगढ़ की तरफ से रामपुर की ओर जा रहे है। इस सूचना पर थानाप्रभारी रामघाट श्री बच्चू सिंह मय पुलिस फोर्स द्वारा कस्बा रामघाट में एसआर पैट्रोल पम्प से आगे उक्त कैन्टर की घेराबन्दी गयी जिस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर मौके से 03 अभियुक्तों को अवैध असलहा मय कारतूस सहित समय करीब रात्रि 22.20 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उक्त कैन्टर गाडी को चैक किया गया तो गाडी से भारी मात्रा में क्रूरतापूर्वक रस्सी से बंधे 16 जीवित गौवंश एवं गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. तालिब उर्फ भूरा पुत्र कामिल निवासी मौ0 नई बस्ती कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।
2. सादाब पुत्र ईनाम निवासी मौ0 मीर्दगान कस्बा व थाना काधंला जनपद शामली।
3. शावेज पुत्र असलम निवासी मौ0 गुजरान निवासी कस्बा व काधंला जनपद शामली।

बरामदगी-

1- 01 टाटा कैन्टर गाड़ी नम्बर यूपी-21सीएन-5620
2- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
2- 01 तमंचा 32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
4- 16 गौवंश जीवित
5- गौकशी करने के उपकरण-01 गन्डासा व 02 छुरी आदि

अभियुक्तगण शातिर किस्म के गौकश अपराधी है। अभियुक्तों द्वारा बताया कि सभी गौवंशो को कैन्टर में लादकर गौकशी के उद्देश्य से मुरादाबाद ले जा रहे थे। अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा व शावेज के विरुद्ध विभिन्न थानों पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-152/16 धारा 147,148,149,307,34,506 थाना थानाभवन जनपद शामली।
2- मुअसं-154/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-155/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं-157/20 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0, 11 पशुक्रूरता अधि0, 429 भादवि थाना रामघाट बुलन्दशहर।

अभियुक्त शावेज का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-351/15 धारा 147,148,149,307 थाना कांधला जनपद शामली।
2- मुअसं-154/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-156/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं-157/20 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0, 11 पशुक्रूरता अधि0, 429 भादवि थाना रामघाट बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामघाट पर मुअसं-154/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), मुअसं-155 व 156/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 एवं मुअसं-157/20 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशुक्रूरता अधि0 व 429 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. श्री बच्चू सिंह थानाध्यक्ष रामघाट।
2. उ0नि0 बुद्धि प्रकाश गौतम
3. का0 दुर्गेश शर्मा, का0 पंकज राणा, का0 नरेन्द्र कुमार, का0 सोमपाल शर्मा।